

## बिहार सरकार

### नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

**विषय:-** नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा जलापूर्ति योजनान्तर्गत अवशेष 35 आंशिक रूप से आच्छादित वार्डों को पूर्ण आच्छादित करने हेतु कुल राशि ₹12855.00/- लाख (एक सौ अठाईस करोड़ पचपन लाख रु०) मात्र की स्वीकृत योजना के विरुद्ध देनदारी की राशि में से तत्काल राशि ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष-2022-23 में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा जलापूर्ति योजनान्तर्गत अवशेष 35 आंशिक रूप से आच्छादित वार्डों को पूर्ण आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं०-487, दिनांक-15.02.2023 द्वारा राशि ₹12855.00/- लाख (एक सौ अठाईस करोड़ पचपन लाख रु०) मात्र की लागत पर प्रदान की गई है।

2. उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०-190, दिनांक-05.09.2023 द्वारा कुल ₹1855.00/- लाख मात्र एवं विभागीय राज्यादेश सं०-347, दिनांक-31.01.2024 द्वारा ₹2000.00/- लाख मात्र अर्थात् कुल ₹3855.00/- लाख मात्र आवंटित किया गया है, इसी क्रम में प्रबंध निदेशक बुडको के पत्रांक-2267, दिनांक-09.06.2025 एवं पत्रांक-3130 दिनांक-07.11.2025 द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹9000.00/- लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में वर्णित योजना के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के विरुद्ध स्तम्भ-6 में अंकित राशि ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत जलापूर्ति मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	संकल्प सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	राज्य योजना मद से पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बुडको द्वारा क्रियान्वित दरभंगा जलापूर्ति योजना	487/15.02.2023	₹12855.00/-	₹3855.00/-	₹3000.00/-	₹6000.00/-

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 214, दिनांक-06.03.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, दरभंगा के PL खाता सं०-DBGPLA012 तथा HOA- 00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात् नगर आयुक्त, नगर निगम दरभंगा द्वारा राशि का हस्तान्तरण कार्यकारी एजेंसी बुडको को हस्तांतरित की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृत राशि ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग सं०-48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष -01 - जल पूर्ति- लघु शीर्ष -191-नगर निगम को सहायता -उप शीर्ष-0101-पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215011910101, विषय शीर्ष-0101.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
6. बिहार कोषागार संहिता के नियम - 286 के आलोक में यथा BTC- 42A फॉर्म सं० -46 में राशि की निकासी की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1496/वि(2), दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।
9. योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार संवेदक/फर्म को राशि का भुगतान किया जाय। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के पत्रांक-2460, दिनांक-04.08.2025 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा संवेदक/फर्म को किये गये भुगतान की सूचना प्रवर्तन निदेशालय एवं संबंधित अन्य जाँच एजेंसियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
10. उक्त राशि का व्यय बिहार वित्त नियमावली, PWD Code एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04-शहरी जलापूर्ति-18-08/2025 के पृष्ठ सं०-44/टि० पर दिनांक-15/1/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-46/टि० पर दिनांक-17/1/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04-शहरी जलापूर्ति-18-08/2025

454

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-20/01/26

**प्रतिलिपि:-** आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।